



न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 632/2022

वाद अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

1. हरबंश सिंह पुत्र श्री दलबार सिंह जाति जटसिख निवासी लम्बी ढाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. तेजा सिंह पुत्र श्री दलबार सिंह जाति जटसिख निवासी लम्बी ढाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. कृष्ण सिंह पुत्र श्री दलबार सिंह जाति जटसिख निवासी लम्बी ढाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. भगवान सिंह पुत्र श्री दलबार सिंह जाति जटसिख निवासी लम्बी ढाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादीगण

बनाम्

1. प्रकाश कौर उर्फ परमजीत कौर पुत्री स्व. श्री दलबार सिंह जाति जटसिख निवासी लम्बी ढाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. जगरूप सिंह पुत्र गुरचरण सिंह पुत्र स्व. श्री अलबेल सिंह जाति जटसिख निवासी लम्बी ढाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. हरनेक सिंह पुत्र स्व. श्री अलबेल सिंह जाति जटसिख निवासी लम्बी ढाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. नक्षत्र सिंह पुत्र स्व. श्री अलबेल सिंह जाति जटसिख निवासी लम्बी ढाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. रणजीत कौर उर्फ बलजीत कौर पुत्री स्व. श्री शेर सिंह जाति जटसिख निवासी लम्बी ढाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री शेर सिंह जाति जटसिख निवासी लम्बी ढाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. कुलदीप सिंह पुत्र स्व. श्री शेर सिंह जाति जटसिख निवासी लम्बी ढाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
8. दर्शन सिंह पुत्र स्व. श्री शेर सिंह जाति जटसिख निवासी लम्बी ढाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
9. तरसेम सिंह पुत्र स्व. श्री कौर सिंह जाति जटसिख निवासी लम्बी ढाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
10. सुखमन्द्र कौर पुत्री स्व. श्री कौर सिंह जाति जटसिख निवासी लम्बी ढाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

लगातार --2

11. जसविन्द्र कौर पुत्री स्व. श्री कौर सिंह जाति जटसिख निवासी लम्बी ढाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
12. हरविन्द्र कौर उर्फ हरपिन्द्र कौर पुत्री स्व. श्री कौर सिंह जाति जटसिख निवासी लम्बी ढाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
13. गुरदेव कौर पत्नी श्री गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी लम्बी ढाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
14. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।



- प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

- वादीगण की ओर से :- श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से :- श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :-09.02.2023

वादीगण हरबंश सिंह वगैरा ने प्रतिवादीगण ओमप्रकाश वगैरा के विरुद्ध यह राजस्व वाद बाबत घोषणा का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 13 जो कि एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। तहसील संगरिया के चक 3 एन.के.आर. जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 के खाता सं. 72/43 में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 एवं वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की माता स्व. बलवन्त कौर पत्नी श्री दलबार सिंह के नाम से 0.759 है. कृषि भूमि, चक 2 एन.के.आर. जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 के खाता सं. 10/35 में वादीगण, वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की स्व. माता बलवन्त कौर पत्नी श्री दलबार सिंह के नाम से 1.518 है. कृषि भूमि, चक 8 ए.एम.पी. जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 के खाता सं. 62/25 में वादीगण, वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की माता स्व. श्रीमती बलवन्त कौर पत्नी श्री दलबार सिंह के नाम से 5.060 है. कृषि भूमि तथा वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के स्व. पिता, प्रतिवादी सं. 2 ता 4 के स्वयं के नाम से, प्रतिवादी सं. 5 ता 12 के स्व. पितागण के नाम से तहसील संगरिया के चक 2 एन.के.आर. के खाता सं. 42/36 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 0.253 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चकों के खातों की जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतियां सलंगन वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि विरासतन हैं तथा वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 13 की संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि बंटवारानुसार वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 13 के अन्य लोगों के प्रभाव में

लगातार --3

होने व उक्त कृषि भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 13 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 13 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया जिसमें प्रतिवादी सं. 1 ता 13 ने उक्त विरासतन कृषि भूमि में अपने समस्त हक व हिस्सा का परित्याग मौखिक रूप से वादीगण के पक्ष में बंटवारानुसार कर दिया। जिनका अब उक्त कृषि भूमि में कोई हित व स्वत्व निहित नहीं रहा है। वादीगण को घरू तौर पर बंटवारा एवं विभाजन में प्राप्त विरासतन कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से है :-

(क) वादी सं. 1 हरबंश सिंह पुत्र श्री दलबार सिंह जाति जटसिख निवासी चक हीरा सिंह वाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-

चक 8 ए.एम.पी. जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 खाता सं. 62/25

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
153/152	30	2/1/0.228 है., 2/2/0.025 है., 9,10,11/0.253 है.प्र., 19/2/0.126 है., 20,22/0.253 है.प्र.
153/153	42	2/1/0.228 है., 2/2/0.025 है.
कुल 1.897 है. कृषि भूमि		

(ख) वादी सं. 2 तेजा सिंह पुत्र श्री दलबार सिंह जाति जटसिख निवासी लम्बी ढाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-

चक 2 एन.के.आर. जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 खाता सं. 42/36

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
154/149	53	13/0.253 है.
कुल 0.253 है. कृषि भूमि		

चक 2 एन.के.आर. जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 खाता सं. 10/35

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
154/149	53	3,4,7,8,18,23/0.253 है.प्र.
कुल 1.518 है. कृषि भूमि		

चक 8 ए.एम.पी. जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 खाता सं. 62/25

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
154/150	15	4/1/0.114 है., 4/2/0.012 है.
कुल 0.126 है. मय गै.मु. कृषि भूमि		



(ग) वादी सं. 3 कृष्ण सिंह पुत्र श्री दलबार सिंह जाति जटसिख निवासी लम्बी ढ़ाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-

चक 8 ए.एम.पी. जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 खाता सं. 62/25

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
154/150	15	4/1/0.114 है., 4/2/0.013 है., 7/0.253 है., 14/1/0.127 है., 15/0.126 है., 16,25/0.253 है.प्र.
159/148	3	1,10,11/0.253 है.प्र.

कुल 1.898 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(घ) वादी सं. 4 भगवान सिंह पुत्र श्री दलबार सिंह जाति जटसिख निवासी लम्बी ढ़ाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-

चक 3 एन.के.आर. जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 खाता सं. 72/43

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
150/150	44	11,12,13/0.253 है.प्र.

कुल 0.759 है. कृषि भूमि

चक 8 ए.एम.पी. जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 खाता सं. 62/25

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
154/150	15	5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है., 6/0.253 है., 15/0.127 है.
155/150	16	20,21/0.253 है.प्र.

कुल 1.139 है. मय गै.मु. कृषि भूमि



यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 13 को विरासतन तौर पर प्राप्त समस्त कृषि भूमि जिसका वर्णन वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित किया गया है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादीगण खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 13 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादीगण का हित एवं स्वत्व निहित है। वादीगण ने वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादीगण खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।



उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 13 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये, जो शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी सं. 14 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादीगण के द्वारा तहसील संगरिया के चक 3 एन.के. आर. जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 के खाता सं. 72/43, चक 2 एन.के.आर. जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 के खाता सं. 10/35, चक 8 ए.एम.पी. जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 के खाता सं. 62/25 एवं तहसील संगरिया के चक 2 एन.के.आर. के खाता सं. 42/36 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 की प्रतियां पेश की गईं जो प्रदर्श-1 ता 4 है। साक्ष्य वादीगण में वादी सं. 1 का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गईं।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादीगण के अभिभाषक ने कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 13 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा आपस में कोई विरोध नहीं है। प्रतिवादी सं. 1 ता 13 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये। वाद पत्र में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 13 ने सहमति के जवाब दावे अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादीगण ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी तहसील संगरिया के चक 3 एन.के.आर. जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 के खाता सं. 72/43 में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 एवं वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की माता स्व. बलवन्त कौर पत्नी श्री दलबार सिंह के नाम से 0.759 है. कृषि भूमि, चक 2 एन.के.आर. जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 के खाता सं. 10/35 में वादीगण, वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की स्व. माता बलवन्त कौर पत्नी श्री दलबार सिंह के नाम से 1.518 है. कृषि भूमि, चक 8 ए.एम.पी. जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 के खाता सं. 62/25 में वादीगण, वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की माता स्व. श्रीमती बलवन्त कौर पत्नी श्री दलबार सिंह के नाम से 5.060 है. कृषि भूमि तथा वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के स्व. पिता, प्रतिवादी सं. 2 ता 4 के स्वयं के नाम से, प्रतिवादी सं. 5 ता 12 के स्व. पितागण के नाम से तहसील संगरिया के चक 2 एन.के.आर. के खाता सं. 42/36 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में

0.253 है। कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। तहसील संगरिया के चक 3 एन. के.आर. जमाबन्दी सम्बत् 2073-76 के खाता सं. 72/43, चक 2 एन.के.आर. जमाबन्दी सम्बत् 2073-76 के खाता सं. 10/35, चक 8 ए.एम.पी. जमाबन्दी सम्बत् 2071-74 के खाता सं. 62/25 एवं तहसील संगरिया के चक 2 एन. के.आर. के खाता सं. 42/36 जमाबन्दी सम्बत् 2073-76 की प्रतियां पेश की गईं। प्रतिवादी सं. 1 ता 13 द्वारा सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत करने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 13 एक ही परिवार के सदस्य हैं। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नहीं आया है। वाद पत्र मुताबिक सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

--: क्रियात्मक आदेश :-

अतः वाद वादीगण मुताबिक वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 13 द्वारा प्रस्तुत सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाता है कि मुताबिक बंटवारा तहसील संगरिया के चक 3 एन.के.आर. जमाबन्दी सम्बत् 2073-76 के खाता सं. 72/43 में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 एवं वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की माता स्व. बलवन्त कौर पत्नी श्री दलबार सिंह के नाम से 0.759 है। कृषि भूमि का वादी सं. 4 को खातेदार काश्तकार घोषित कर वादी सं. 1 ता 3, प्रतिवादी सं. 1 एवं मृतका स्व. बलवन्त कौर पत्नी श्री दलबार सिंह का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार चक 2 एन.के.आर. जमाबन्दी सम्बत् 2073-76 के खाता सं. 10/35 में वादीगण, वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की स्व. माता बलवन्त कौर पत्नी श्री दलबार सिंह के नाम से 1.518 है। कृषि भूमि का वादी सं. 2 को खातेदार काश्तकार घोषित कर वादी सं. 1, 3, 4 एवं मृतका बलवन्त कौर पत्नी श्री दलबार सिंह का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार चक 8 ए.एम.पी. जमाबन्दी सम्बत् 2071-74 के खाता सं. 62/25 में वादीगण, वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की माता स्व. श्रीमती बलवन्त कौर पत्नी श्री दलबार सिंह के नाम से 5.060 है। कृषि भूमि में से वादी सं. 1 को 1.897 है। कृषि भूमि का, वादी सं. 2 को 0.126 है। कृषि भूमि का, वादी सं. 3 को 1.898 है। कृषि भूमि का, वादी सं. 4 को 1.139 है। कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर मृतका बलवन्त कौर पत्नी श्री दलबार सिंह का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के स्व. पिता, प्रतिवादी सं. 2 ता 4 एवं 13 के स्वयं के नाम से, प्रतिवादी सं. 5 ता 12 के स्व. पितागण के नाम से तहसील संगरिया के चक 2 एन.के.आर.



के खाता सं. 42/36 जमाबन्दी सम्बत् 2073-76 में 0.253 है. कृषि भूमि का वादी सं. 2 को खातेदार काश्तकार घोषित कर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के स्व. पिता, प्रतिवादी सं. 2 ता 4, 13 का स्वयं का नाम एवं प्रतिवादी सं. 5 ता 12 के स्व. पितागण का नाम कलमजन किया जावे।



नोट:- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 09.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया



डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया

पीठासीन अधिकारी:- रमेश देव(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 632/2022

1. हरबंश सिंह पुत्र श्री दलबार सिंह जाति जटसिख निवासी लम्बी ढाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. तेजा सिंह पुत्र श्री दलबार सिंह जाति जटसिख निवासी लम्बी ढाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. कृष्ण सिंह पुत्र श्री दलबार सिंह जाति जटसिख निवासी लम्बी ढाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. भगवान सिंह पुत्र श्री दलबार सिंह जाति जटसिख निवासी लम्बी ढाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादीगण

बनाम्

1. प्रकाश कौर उर्फ परमजीत कौर पुत्री स्व. श्री दलबार सिंह जाति जटसिख निवासी लम्बी ढाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. जगरूप सिंह पुत्र गुरचरण सिंह पुत्र स्व. श्री अलबेल सिंह जाति जटसिख निवासी लम्बी ढाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. हरनेक सिंह पुत्र स्व. श्री अलबेल सिंह जाति जटसिख निवासी लम्बी ढाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. नक्षत्र सिंह पुत्र स्व. श्री अलबेल सिंह जाति जटसिख निवासी लम्बी ढाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. रणजीत कौर उर्फ बलजीत कौर पुत्री स्व. श्री शेर सिंह जाति जटसिख निवासी लम्बी ढाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री शेर सिंह जाति जटसिख निवासी लम्बी ढाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. कुलदीप सिंह पुत्र स्व. श्री शेर सिंह जाति जटसिख निवासी लम्बी ढाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
8. दर्शन सिंह पुत्र स्व. श्री शेर सिंह जाति जटसिख निवासी लम्बी ढाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
9. तरसेम सिंह पुत्र स्व. श्री कौर सिंह जाति जटसिख निवासी लम्बी ढाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

लगातार --2



-2-

10. सुखमन्द्र कौर पुत्री स्व. श्री कौर सिंह जाति जटसिख निवासी लम्बी ढाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
11. जसविन्द्र कौर पुत्री स्व. श्री कौर सिंह जाति जटसिख निवासी लम्बी ढाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
12. हरविन्द्र कौर उर्फ हरपिन्द्र कौर पुत्री स्व. श्री कौर सिंह जाति जटसिख निवासी लम्बी ढाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
13. गुरदेव कौर पत्नी श्री गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी लम्बी ढाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
14. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

दिनांक :- 09.02.2023

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ रमेश देव(आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री कुलदीप मुण्ड वकील वादीया मिन जामिन मुदई श्री महावीर बेरड़ वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 13 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि:-

(क) वादी सं. 1 हरबंश सिंह पुत्र श्री दलबार सिंह जाति जटसिख निवासी चक हीरा सिंह वाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-

चक 8 ए.एम.पी. जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 खाता सं. 62/25

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
153/152	30	2/1/0.228 है., 2/2/0.025 है., 9,10,11/0.253 है.प्र., 19/2/0.126 है., 20,22/0.253 है.प्र.

153/153	42	2/1/0.228 है., 2/2/0.025 है.
---------	----	------------------------------

कुल 1.897 है. कृषि भूमि

(ख) वादी सं. 2 तेजा सिंह पुत्र श्री दलबार सिंह जाति जटसिख निवासी लम्बी ढाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-

चक 2 एन.के.आर. जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 खाता सं. 42/36

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
154/149	53	13/0.253 है.

कुल 0.253 है. कृषि भूमि

चक 2 एन.के.आर. जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 खाता सं. 10/35

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
154/149	53	3,4,7,8,18,23/0.253 है.प्र.

कुल 1.518 है. कृषि भूमि

लगातार --3



-3-

चक 8 ए.एम.पी. जमाबन्दी सम्बत् 2071-74 खाता सं. 62/25

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
154/150	15	4/1/0.114 है., 4/2/0.012 है.

कुल 0.126 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ग) वादी सं. 3 कृष्ण सिंह पुत्र श्री दलबार सिंह जाति जटसिख निवासी लम्बी ढाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-

चक 8 ए.एम.पी. जमाबन्दी सम्बत् 2071-74 खाता सं. 62/25

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
154/150	15	4/1/0.114 है., 4/2/0.013 है., 7/0.253 है., 14/1/0.127 है., 15/0.126 है., 16,25/0.253 है.प्र.

159/148	3	1,10,11/0.253 है.प्र.
---------	---	-----------------------

कुल 1.898 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(घ) वादी सं. 4 भगवान सिंह पुत्र श्री दलबार सिंह जाति जटसिख निवासी लम्बी ढाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-

चक 3 एन.के.आर. जमाबन्दी सम्बत् 2073-76 खाता सं. 72/43

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
150/150	44	11,12,13/0.253 है.प्र.

कुल 0.759 है. कृषि भूमि

चक 8 ए.एम.पी. जमाबन्दी सम्बत् 2071-74 खाता सं. 62/25

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
154/150	15	5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है., 6/0.253 है., 15/0.127 है.

155/150	16	20,21/0.253 है.प्र.
---------	----	---------------------

कुल 1.139 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

मुताबिक बंटवारा तहसील संगरिया के चक 3 एन.के.आर. जमाबन्दी सम्बत् 2073-76 के खाता सं. 72/43 में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 एवं वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की माता स्व. बलवन्त कौर पत्नी श्री दलबार सिंह के नाम से 0.759 है. कृषि भूमि का वादी सं. 4 को खातेदार काश्तकार घोषित कर वादी सं. 1 ता 3, प्रतिवादी सं. 1 एवं मृतका स्व. बलवन्त कौर पत्नी श्री दलबार सिंह का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार चक 2 एन.के.आर. जमाबन्दी सम्बत् 2073-76 के खाता सं. 10/35 में वादीगण, वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की स्व. माता बलवन्त कौर पत्नी श्री दलबार सिंह के नाम से 1.518 है. कृषि भूमि का वादी सं. 2 को

खातेदार काश्तकार घोषित कर वादी सं. 1, 3, 4 एवं मृतका बलवन्त कौर पत्नी श्री दलबार सिंह का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार चक 8 ए. एम.पी. जमाबन्दी सम्बत् 2071-74 के खाता सं. 62/25 में वादीगण, वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की माता स्व. श्रीमती बलवन्त कौर पत्नी श्री दलबार सिंह के नाम से 5.060 है. कृषि भूमि में से वादी सं. 1 को 1.897 है. कृषि भूमि का, वादी सं. 2 को 0.126 है. कृषि भूमि का, वादी सं. 3 को 1.898 है. कृषि भूमि का, वादी सं. 4 को 1.139 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर मृतका बलवन्त कौर पत्नी श्री दलबार सिंह का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के स्व. पिता, प्रतिवादी सं. 2 ता 4 एवं 13 के स्वयं के नाम से, प्रतिवादी सं. 5 ता 12 के स्व. पितागण के नाम से तहसील संगरिया के चक 2 एन.के.आर. के खाता सं. 42/36 जमाबन्दी सम्बत् 2073-76 में 0.253 है. कृषि भूमि का वादी सं. 2 को खातेदार काश्तकार घोषित कर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के स्व. पिता, प्रतिवादी सं. 2 ता 4, 13 का स्वयं का नाम एवं प्रतिवादी सं. 5 ता 12 के स्व. पितागण का नाम कलमजन किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निजX..... निलX..... मुब्लिकX.....निलX..... बाबत्
.X....निल.....X..... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तकX.....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 09.02. 2023 को जारी किया जाता है।

(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

